राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1130/2017/आबकारी/जयपुर.

फिरंगी पानी रेस्टोरेन्ट, ए–5, वरूण कॉलोनी,
अरावली मार्ग, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक
श्री गिरधर शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प.32(बी)(36)आब/एल/2010 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9क(1)(ख) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्टोरेन्ट को राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम 2005 के नियम 3(3) के तहत रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र संख्या 93/2010–11 दिनांक 13.5.2010 जारी किया गया है। श्रीमती प्रियंका खेड़ा, आबकारी निरीक्षक, जयपुर शहर वृत पश्चिम द्वारा दिनांक 20.10.2016 को प्रार्थी के रेस्टोरेंट बार की जांच की जाने पर वहां पर रसोई संचालित नहीं पायी गयी, केवल नमकीन व सलाद ही सर्व की जा रही थी, रेस्टोरेंट बार में ऑनलाईन फीडिंग नहीं की जा रही थी, स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ठियां पूर्ण नहीं पायी गयी। उक्त अनियमितताओं के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत प्रकरण संख्या 39 दिनांक 22.10.2016 दर्ज किया जाकर प्रकरण आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए प्रकरण को संयोज्य किये जाने का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकार करते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2017 पारित करते हुए, प्रार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8 व 8ए का उल्लंघन किया जाना अवधारित करते हुए प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके रेस्टोरेंट बार में ग्राहकों को बीयर के साथ–साथ सोडा, नमकीन, पापड़, सलाद, मूंगफली आदि का विक्रय किया जा रहा था, जो कि खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। विद्वान अभिभाषक ने आबकारी अधिनियम में रेस्टोरेंट की परिभाषा को उद्धरित करते हुए बताया कि "Restaurant means any place to which public are admitted for the consumption of **food or drink** for consideration." के अनुसार प्रार्थी का व्यवसाय स्थल रेस्टोरेंट की परिभाषा में सम्मिलित योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त परिभाषा के अनुसार भोजन अथवा पेय पदार्थ, दोनों में से एक का विक्रय किया जाने वाला स्थल भी रेस्टोरेंट की परिभाषा में शुमार होगा। उक्त परिभाषा में **food or drink** का उल्लेख किया गया है, ना कि **food and drink.** इस प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम में दी गयी परिभाषा का विधिक विश्लेषण किये बिना प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कि विधिसम्मत आदेश नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम 2004 के नियमों में ऐसा कहीं भी प्रावधित नहीं है कि रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र उसी रेस्टोरेंट को स्वीकृत किया जायेगा जिसमें आगन्तुक ग्राहक को भोजन उपलब्ध कराया जाता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के रेस्टोरेंट में रसोई संचालित नहीं होना मानकर प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना प्रथम दृष्ट्या विधिविरूद्ध है।

6. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि आबकारी निरीक्षक ने फर्द रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि किस दिनांक तक स्टॉक की ऑनलाईन प्रविष्ठि की हुई नहीं थी, जबकि उनकी समस्त प्रविष्ठियां समय पर की हुई थी एवं विभाग के समक्ष भी समस्त विवरण–पत्र प्रस्तुत किये हुए थे। कथन किया कि आबकारी निरीक्षक ने ऐसा इसलिए किया कि उनके द्वारा इस बाबत् कोई जांच ही नहीं की गयी। आबकारी निरीक्षक द्वारा ना तो स्टॉक लिया गया एवं ना ही कोई अन्य जांच की गयी।

7. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जिस दिन प्रार्थी के रेस्टोरेंट बार का निरीक्षण किया गया, उसी दिन अन्य रेस्टोरेंट बार 'नेक्सस रेस्टोरेंट बार जयपुर' का भी निरीक्षण किया गया तथा उसमें भी रसोई संचालित होना नहीं पायी गयी एवं ओनलाईन स्टॉक फीडिंग किया जाना नहीं पाया गया, जबकि उक्त रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस निरस्त नहीं किया जाकर प्रकरण को संयोज्य करते हुए संयोज्य राशि रूपये 25,000/– का आरोपण किया गया।

लगातार.....3

जबकि प्रार्थी के उक्त समान प्रकरण को संयोज्य नहीं किया जाकर प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया, जो स्पष्टतः समान प्रकरणों में दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने का कृत्य है एवं उक्त दो पृथक–पृथक आदेश आबकारी आयुक्त की दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **सिविल रिट पिटिशन संख्या 3427/1988 आर.एन. प्रोडक्ट्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 05.12.1988** के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बिन्दु पर यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि आबकारी आयुक्त द्वारा दो तरह के समान मामलों में अलग–अलग भेदभावपूर्ण आदेश किया जाना विधि एवं न्याय के विरूद्ध है तथा उस आधार पर प्रार्थी की याचिका को स्वीकार किया गया था एवं प्रार्थी द्वारा अपेक्षित लाईसेंस को नवीनीकरण करने के आदेश दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध किये गये पक्षपातपूर्ण निर्णय को समानता के अधिकार के आधार पर भी खारिज करने का अनुरोध किया।

8. इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक ने मैसर्स सुकुन वेज एण्ड नोनवेज रेस्टोरेंट, जयपुर की जांच में अवैध शराब की बरामदगी के पश्चात् बनाये गये प्रकरण में प्रार्थी के संयोज्य प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए, अनुज्ञापत्र को निरस्त नहीं करते हुए, प्रकरण को संयोज्य किया गया है, जबकि प्रार्थी के प्रकरण में किसी प्रकार की अवैध शराब नहीं पायी गयी तथा समस्त तथ्य नियमानुसार पाये जाने के बावजूद अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध हैं।

9. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों एवं कथनों के समर्थन में बहस के दौरान अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन–जयपुर का पत्र दिनांक 01.06.2017 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार प्रार्थी के रेस्टोरेंट की दिनांक 31.05.2017 को जांच की जाना एवं मौके पर रसोई संचालित होना तथा ओनलाईन फीडिंग होना बताया गया। बहस के दौरान रेस्टोरेंट के ओनलाईन फीडिंग एवं स्टॉक रजिस्टर सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

10. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की अपील स्वीकार किये जाने एवं आबकारी आयुक्त का आदेश अपास्त किये जाने का कथन किया तथा प्रार्थी के स्तर पर कोई अनियमितता नहीं होने के बावजूद अधिकतम शास्ति के रूप में प्रकरण को संयोज्य करते हुए संयोज्य राशि के आरोपण का कथन किया गया।

लगातार.....4

11. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक एवं सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच प्रार्थी के रेस्टोरेंट में रसोई का संचालन नहीं पाये जाने के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक एवं सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

13. प्रकरण में प्रार्थी बार रेस्टोरेंट का निरीक्षण दिनांक 20.10.2016 को किये जाने पर सक्षम आबकारी अधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि रेस्टोरेंट बार में रसोई संचालित नहीं हो रही थी एवं स्टॉक रजिस्टर व निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं थी तथा स्टॉक की ओनलाईन फीडिंग नहीं की गयी थी। इन तीन आक्षेपों के मद्देनजर अभियोग स्थापित किया गया था, जिसका निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त विवादित आदेश से करते हुए प्रार्थी का रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस उक्त तीनों अनियमितताओं के लिये निरस्त कर दिया गया था।

14. यह उल्लेखनीय है कि इस अभियोग के मामले में जारी नोटिस की सुनवाई के समय प्रार्थी द्वारा अभियोग को संयोज्य कराने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था कि उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत पंजीकृत अभियोग को संयोज्य किया जावे तथा यह भी कथन किया गया था कि उनके द्वारा रेस्टोंरेट की परिभाषा अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ एवं अन्य ड्रिंक्स सर्व किये जाते हैं, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 16.06.2017 के आदेश से प्रार्थी बार मालिक को जारी लाईसेंस, लाइसेंस की शर्त संख्या 8, 8ए एवं 9 का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये कथनों में विधि के इस बिन्दु पर विचार किया गया एवं पाया कि आबकारी आयुक्त को किसी लाईसेंस को निरस्त किये जाने के अधिकार प्रदत्त हैं एवं ऐसे लाईसेंस जारी करते वक्त लाईसेंस में दी गयी शर्तों की पालना किया जाना लाईसेंसधारी का अनिवार्य कर्तव्य होता है एवं इस प्रकरण में जो अनियमिततायें पायी गयी थी उसके आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा लाईसेंस निरस्त किये जाने की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग उनके द्वारा किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी अनियमितताओं के लिये आबकारी आयुक्त को अभियोग संयोज्य करने के भी अधिकार हैं, इस तरह वे दोनों ही शक्तियों का प्रयोग विधि एवं न्यायिक दृष्टि से कर सकते हैं।

लगातार.....5

15. इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से जो मुख्य कथन एवं तर्क दिये गये हैं वह यह हैं कि आबकारी आयुक्त द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें पक्षपात रूप से प्रार्थी को न्यायिक समानता के अधिकार से वंचित करते हुए उनका लाईसेंस निरस्त किया गया है जो उनके पूरे व्यापार को ही समाप्त करता है। इस कथन के साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा नेक्सस रेस्टोरेंट बार के विरूद्ध की गई समान अभियोग में की गई कार्यवाही का हवाला मय दस्तावेजी प्रतियों के दिया गया कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 20.10.2016 को आबकारी निरीक्षक द्वारा समान अनियमितताओं के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत अभियोग स्थापित किया गया था एवं उस अभियोग में भी वे ही आरोप लगाये गये थे जो आरोप उक्त प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये थे एवं जिन अनियमितताओं का वर्णन दिया गया था, वह पूरी तरह समान था कि रेस्टोरेंट बार में रसोई संचालित नहीं है, स्टॉक रजिस्टर व निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं होती है तथा स्टॉक की ओनलाईन फीडिंग नहीं होना पायी गयी थी। इन दोनों ही प्रार्थियों द्वारा अभियोग को विभागीय स्तर पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु आबकारी आयुक्त ने नेक्सस रेस्टोरेंट बार के हुबहु समान अभियोग में दिनांक 03.05.2017 को अधिनियम की धारा 70 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोग संयोज्य कर रूपये 25,000/– की राशि जमा कराने के आदेश दिये गये, जबकि समान मामले में उक्त प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था उस संयोज्य प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर दिनांक 16.06.2017 को अर्थात् नेक्सस रेस्टोरेंट बार के निर्णय के एक महीने बाद अस्वीकार कर समान अनियमितता के लिये प्रार्थी के अनुज्ञापत्र दिनांक 14.05.2010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

16. उक्त दोनों ही प्रकरणों में बनाये गये अभियोग के मामले में फर्द निरीक्षण के अवलोकन पर यह पाया कि दोनों ही निरीक्षण दिनांक 20.10.2016 को सांय 8:00 पी.एम. पर किये गये थे एवं दोनों में ही समान अनियमितता बताई गई थी एवं दोनों ही प्रार्थियों द्वारा संयोज्य हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में एक बार लाईसेंस के अभियोग को संयोज्य कर उस लाईसेंस को निरन्तर किया गया जबकि इस प्रार्थी का लाईसेंस निरस्त किया गया जबकि यह प्रार्थी लाईसेंसधारी वर्ष 2010 से ही निरन्तर बार लाईसेंसधारी था। यह भी अहम तथ्य है कि इस प्रार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये गये दस्तावेज दिनांक 01.06.2017 को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा आयुक्त को लिखा हुआ पत्र क्रमांक प.( )अ.आ./आब/2017–18/3017 दिनांक 01.06.2017 प्रस्तुत किया गया है जिसमें अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन–जयपुर द्वारा उक्त प्रार्थी का दिनांक 31.05.2017 को निरीक्षण कर बार में रसोई संचालित होना पाये जाने की रिपोर्ट दी गई है एवं जांच करने वाले

लगातार.....6

आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट क्रमांक 488 दिनांक 31.05.2017 भी प्रस्तुत है, उसमें यह बताया गया है कि रेस्टोरेंट बियर बार में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ठियां पूर्ण पायी गयी एवं बार के स्टॉक की ओनलाईन फीडिंग की जा रही है तथा रसोई संचालित है।

17. इस सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत–दक्षिण, जयपुर शहर के पत्र क्रमांक 31.05.2017 की प्रति भी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गयी है, जिसमें संयोज्य प्रार्थना–पत्र के मामले में जांच के निर्देशानुसार जांच का हवाला देते हुए यह स्पष्ट रिपोर्ट की गयी है कि रेस्टोरेंट बार के किचन में भोजन तैयार करने की सामान्य सामग्री मौजूद पायी गयी एवं किचन संचालित पायी गयी तथा स्टॉक रजिस्टर पूर्ण पाया गया जिसमें ओनलाईन फीडिंग भी अद्यतन किया जाना पाया गया। इस तरह आबकारी आयुक्त के समक्ष दो समान मामलों में एक ही दिन स्थापित अभियोगों में एक लाईसेंसधारक का लाईसेंस निरस्त करने तथा दूसरे लाईसेंसधारक का लाईसेंस निरस्त नहीं कर संयोज्य राशि जमा कराने के निर्देश देना पूर्णतया भेदभावपूर्ण निर्णय है जो माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तुत निर्णय **सिविल रिट पिटिशन संख्या 3427/1988 आर.एन. प्रोडक्ट्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 05.12.1988** के आलोक में निरस्त योग्य है।

18. यह टिप्पणी करना उचित होगा कि आबकारी आयुक्त द्वारा नेक्सस रेस्टोरेंट का संयोज्य प्रार्थना–पत्र की स्वीकृति का आदेश दिनांक 03.05.2017 को पारित किया गया था जबकि समान प्रार्थना–पत्र पर उक्त प्रार्थी का संयोज्य प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर लाईसेंस निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 16.06.2017 लगभग डेढ़ माह बाद किया गया जबकि अवर अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट रिपोर्ट दी गयी थी कि जो आरोप पूर्व में लगाये गये थे उसके विपरीत रसोई संचालित होना पायी गयी थी तथा ओनलाईन फीडिंग व स्टॉक रजिस्टर भी नियमानुसार संधारित पाये गये, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कि इस प्रार्थी का अभियोग किस तरह नेक्सस रेस्टोरेंट से भिन्न है, सीधे सात वर्षों से जारी एक कार्यरत लाईसेंस को निरस्त कर दिया गया, जो निश्चित रूप से न्याय के विरूद्ध है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में निरस्तनीय है।

19. फलतः आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 16.06.2017 न्यायिक समानता के आधार पर निरस्त किया जाता है एवं संयोज्य प्रार्थना–पत्र पर अधिकतम शुल्क आरोपित कर, जैसा कि स्वयं प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया था, रेस्टोरेंट बार लाईसेंस को बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

20. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य